



2026:AHC:15298

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 2025 का 44275

इन्तज़ार

....आवेदक

बनाम

उ० प्र० राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता	:	सन्दीप कुमार श्रीवास्तव
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सन्दीप कुमार श्रीवास्तव तथा राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री यागवल्क पाण्डेय को सुना गया।

वर्तमान जमानत आवेदन तहत धारा 483 भा०न०सु०सं० अभियुक्त-आवेदक इन्तज़ार की ओर से थाना कैलादेवी, जिला सम्भल में भा०न०सं० की धारा 74, 126(1), 109(1) एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अधीन पंजीकृत वाद अपराध संख्या 2025 का 169 में विचारण की लम्बितता के दौरान जमानत पर रिहाई की याचना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस वाद अपराध संख्या में झूठा आलिप्त किया गया है और दिनांक 30.10.2025 से वह कारागार में निरुद्ध है। दिनांक 29.10.2025 को इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि घटना की तिथि को आवेदक ने पीड़िता के साथ लज्जा भंग का प्रयास किया, जब वह विद्यालय से लौट रही थी, तथा उसकी गर्दन दबाकर उसे मारने का प्रयास किया और पीड़िता के शोर मचाने पर आवेदक को मौके पर ही पकड़ लिया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वास्तविक तथ्य यह है कि यह एक साधारण दुर्घटना का मामला है और कहासुनी के बाद प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पीड़िता के बयान तहत भा०न०सु०सं० की धारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



180 एवं 183 में विरोधाभास है। लंबी बहस के पश्चात् आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में दिनांक 04.11.2025 को आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और आवेदक से और अधिक अभिरक्षात्मक पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और जमानत पर रिहाई की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः जमानत की याचना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रबल विरोध किया है, किन्तु वे इस तथ्य को विवादित नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, पुष्टिकर साक्ष्य की प्रकृति, गवाह से छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किन्तु मामले के गुणागुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक इन्तज़ार को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर वैयक्तिक बन्धपत्र एवं समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये:-

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाये।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्रवाई करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

21 जनवरी, 2026

दीपक/

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।